तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामेश्वर लाल बनाम सहायक वन सरंक्षक मु0नं0 76/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज सायं 05.00 बजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 17/9/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

3

8/19

76/2020

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी बगड़वा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

सहायक वन संरक्षक, कार्यालय, सहायक वन संरक्षक सांवाली रोड़, सीकर जिला सीकर (राज0)

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 19.07.2019 न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय सीकर प्रकरण बउनवानी रामेश्वरलाल बनाम सहायक वन संरक्षक पीठासीन अधिकारी जयप्रकाश आर.ए.एस।

मान्यवर महोदय,

संक्षेप में अपील तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी गांव बागड़वा में वर्षो से पक्के पकानों का निर्माण कर परिवार सहित आवास निवास कर रहा है, जिसमें प्रार्थी ने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। दिनांक 10.06.2018 को प्रार्थी को सहायक वन संरक्षक से सम्मन मिला कि वन विभाग की भूमि खसरा नं. 1164 रकबा 0.1509 हैक्टर में पक्का निर्माण कर आप द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सीकर के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति नोटिस एव दस्तावेजात प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सीकर ने प्रार्थी/अपीलान्ट की आपत्ति एवं दस्तावेजात पर बिना गौर किये ही प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्के मकानो से बेदखली के ओदश दिनांक 11.07.2018 पारित

Scanned by CamScanner